

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक ८-७७/कृषि निवेश/बी-250(टी0सी0) दिनांक लखनऊ दिसम्बर, २७, 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,  
सहकारिता, उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबंधक,  
जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबंधक  
पी.सी.एफ. उ०प्र०।


विषय-इफको द्वारा आपूर्तित डीएपी के मूल्यों में कमी विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-77/कृषि निवेश/बी-250 टीसी दिनांक 26.12.2016 का संदर्भ लें जिसके द्वारा इफको आपूर्तित डीएपी के मूल्यों में कमी किये जाने के पश्चात नई दरें प्रसारित की गयी है। उक्त संशोधित दरों की धनराशि में टंकण त्रुटिवश गलत अंकन हो गया है जिसे निम्नवत पढा जाये :-

(धनराशि रु० मे)

क्र०.	विवरण	डीएपी
1	समितियों को आपूर्ति दर प्रति मै०टन	18:46 20320.00
2	कृषकों को आपूर्ति दर प्रति मै०टन	20800.00
3	कृषकों को फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किग्रा बैग	1040.00

संदर्भगत परिपत्र सी-77/कृषि निवेश दिनांक 26.12.2016 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।


  
(किशन सिंह अटोरिया)  
आयुक्त एवं निबंधक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी - ७७ / कृषि निवेश / बी-250(टी0सी0) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 राज्य विपणन प्रबंधक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि अन्तर मूल्य की धनराशि सम्बन्धित समितियों / पीसीएफ के खाते में क्रेडिट करना सुनिश्चित करें।
- 2 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।

- 3 समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
- 4 अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
- 5 कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6 प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
- 7 समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8 समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
- 9 प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

  
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(क०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।